

(नियम 13)

General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

पुत्र औंकार जाति माली निवासी देवीपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।	-बनाम-	गिरधारी पुत्र रामनाथ जाति माली निवासी देवीपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
किस्म मुकदमा- दावा: विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा।		मु.नं. 26 / 2025
		RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
------	-----------------	---------------------------

21.01.25 आज यह वाद वादी की ओर से वकील श्री आनन्दी लाल सैनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जारी हो। प्रतिवादीगण यदि तहसील क्षेत्र नवलगढ़ के बाहर के हो तो तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 25/1/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)  
नवलगढ़ जिला झुंझुनू

25/1/25 पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी  
को बार-बार न्यायालय लाना  
तक आवादा लंबाचाले जाने के  
बावजूद अनु- न्यायालय रहे रहे  
पत्रावली अपन हाथों व अपन पेटेरी  
से रफारिज को जाती है पत्रावली  
फैलल सुमार होकर पत्रे लालवा रहे  
तक हो तथा वाद लामेला जाया  
वारिफल पफला है।

